की ओर से जवाब पेश। जिस [illegible] आकर प्रति [illegible] अधिवक्ता को [illegible]। वास्ते पत्रावली बहस हेतु नियत दिनांक 16.1.20 को पेश हो।

16.1.20	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्तागण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार [illegible] से पत्रावली दिनांक 20.2.20 को पेश हो।
20.2.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष बहस आयन्दा करना चाहते है उभयपक्ष बहस हेतु अवसर दिया जाता है वास्ते पत्रावली बहस हेतु उभयपक्षो की बहस हेतु नियत दिनांक 23.4.20 को पेश हो।
23.4.20	[illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 9.7.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी [illegible]
9.7.20	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 10.9.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी [illegible]
10.9.20	उभय पक्ष [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 19.11.20 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी [illegible]
19.11.20	पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने बहस करनी चाही बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया कि प्रार्थी विपक्षी सं. 01 का आयन्दा पुत्र है जो उनका प्रथम श्रेणी का विधिक वारीस एवं उत्तराधिकारी है एवं प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 की पुश्तैनी कृषि [illegible] है। जिससे

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.24 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा निहित है। जिसमे हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 की नियत मे फितुर आने से प्रार्थी को बेदखल कर आराजी को विक्रय रहन बय, बरक्शीस करने पर आमादा है। अत: विपक्षी सं. 1 को प्रार्थी को उपयोग उपभोग मे दखल नही करने तथा उक्त भूमि के रेकार्ड व हस्तांतरन नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करे।

मैने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, प्रथम द्रष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थी को बेदखल कर भूमि की विक्रय रहन बय बरक्शीस किया जाता है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

अत: आदेश दिया जाता है कि ग्राम भादू पटवार हल्का भादू तहसील माण्डल मे स्थित आराजी नं. 1556 1565 1574 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद पत्र के निस्तारण तक जारी की जाती है विपक्षीगण मूल वादपत्र के निस्तारण तक रेकार्ड की यथास्थिति रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद पत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.11.24 13:47:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner